संख्या-11/2016/325/63-व0उ0-2016-आर-152 सी0एम0/12

प्रेषक,

हरिशंकर भट्ट,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2016**

विषय:- जनपद-आजमगढ़ के कस्बा-मुबारकपुर में निर्माणाधीन विपणन केन्द्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-1158/ह0क0-विप0केन्द्र/2015-16, दिनांक 24.02.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-आजमगढ़ के कस्बा-मुबारकपुर में निर्माणाधीन विपणन केन्द्र के सम्बन्ध में बाह्य विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- जनपद-आजमगढ़ के कस्बा-मुबारकपुर में निर्माणाधीन विपणन केन्द्र आगणित कुल लागत रू0 1225.08 लाख (रूपये बारह करोड़ पच्चीस लाख आठ हजार मात्र) के सापेक्ष प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 1247.61 लाख के सापेक्ष नियोजन विभाग द्वारा रू0 1245.84 लाख (रूपये बारह करोड़ पैंतालिस लाख चौरासी हजार मात्र) की लागत आकलित की गई है। प्रायोजना की मूल स्वीकृत लागत रू0 1225.08 लाख (रूपये बारह करोड़ पच्चीस लाख आठ हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 20.76 लाख (रूपये बीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) की वृद्धि हुई है।

3- अत: जनपद-आजमगढ़ के कस्बा-मुबारकपुर में विपणन केन्द्र की निर्माण लागत में हुई वृद्धि के दृष्टिगत कुल लागत रू0 1225.08 लाख (रूपये बारह करोड़ पच्चीस लाख आठ हजार मात्र) के सापेक्ष प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 1247.61 लाख के सापेक्ष नियोजन विभाग द्वारा रू0 1245.84 लाख (रूपये बारह करोड़ पैंतालिस लाख चौरासी हजार मात्र) की लागत के क्रम में **रू0 20.76 लाख (रूपये बीस लाख छिहत्तर हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को यदि आवश्यक हो, तब स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

4- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/मासिक व्यय विवरण शासन/वित्त विभाग को समय-समय पर उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर/प्रबन्ध निदेशक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ का होगा।

5- उक्त प्रस्तर-4 में स्वीकृत की जा रही धनराशि **रू0 20.76 लाख (रूपये बीस लाख छिहत्तर हजार मात्र)** का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-06 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-103-हथकरघा उद्योग-03- जनपद-आजमगढ़ के मुबारकपुर में हथकरघा उद्योग के लिये विपणन केन्द्र की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में वर्णित निर्देशों/प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-325(1)/63-व0उ0-2016-आर.-152 सी0एम0/12, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय/लेखा एवं हकदारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- प्रबन्ध निदेशक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

3- जिलाधिकारी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।

5- वित्त ई-6 अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in